

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अ
हुक्म
में ज

कृषि का रिजर्व तथा उसके आदेश कर्ड च लेने
 डायरी के इस्तेमाल का आदेश किया जिसमें
 प्रबन्धी का नाम गंगादेवी कुमारी विष्णुयाराम मंडी
 है। इसपर प्रबन्धी का नाम उपरोक्त बर्धन हरि
 कृषि में इस्तेमाल किया जाना न्यायोचित प्रतीत
 होता है। अतः प्रबन्धी का प्रयोग जम स्विकार किया
 जाना है। नदारीया (शुद्ध) कोषाध्यक्ष को आदेश
 दिया जाना है। कि उपरोक्त बर्धन हरि कृषि की
 जमावड़ी एवं नदारीया शुद्ध रिजर्व में प्रबन्धी
 का नाम गंगादेवी कुमारी विष्णुयाराम का नाम इस्तेमाल
 करने के आदेश दिए जाने हैं।

नदारीया (शुद्ध) कोषाध्यक्ष को आदेश की प्रती
 वाफ्तार प्रेषित की जावे।

कावरी कौटाल आदेश दफ्तर दखल जाकर आदेश
 प्रस्तुत हो। तिथि आज दिनांक 15.7.2021 को सुनाया
 गया।

4 ✓
 उपखण्ड अधिकारी
 कोलार जिला-बंगलूर